प्रतिलिपि :— आदेश पत्र दिनांक 20.10.2022 का जो कि न्यायालय : सुश्री संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के जमानत आवेदन पत्र क्र0—357/2022 में पारित आदेश जिसके पक्षकार निम्न है :—

———————————————————————————————————

सलीम कुमार खरे, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता—मोतीलाल खरे,
निवासी—वार्ड क्र.—7 भांठापारा, पिपरसत्ती, थाना अकलतरा, जिला जांजगीर—चांपा
हा.मु—ग्राम—पताढ़ी दशरथ भांठा थाना उरगा, तहसील व जिला कोरबा (छ0ग0)

——**आवेदक**

//विरूद्ध //

छ0ग0 राज्य
द्वारा पुलिस थाना उरगा,
जिला कोरबा

——**अनावेदक**

———————————————————————————————————

20-10-2022

माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा से जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—357/2022 पक्षकार सलीम कुमार खरे विरूद्ध छ.ग.राज्य का विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक द्वारा श्री के.बी.शांडिल्य अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री कौशल प्रसाद श्रीवास, अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना उरगा जिला कोरबा के अपराध क्रमांक—507/2022, धारा—379, 34 भारतीय दण्ड संहिता, छ.ग.राज्य विरूद्ध कलाराम अनंत, की केस डायरी जमानत विरोध पत्र सहित प्राप्त।

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—357/2022 पर उभय पक्षों का तर्क सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अतंर्गत धारा **438 द**ण्ड प्रकिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। आवेदन में उल्लेखित है, कि यह **प्रथम अग्रिम** जमानत आवेदन पत्र है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदन का लिखित में कोई जवाब नहीं देना व्यक्त किया।

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है, कि आवेदक/आरोपी को जानकारी हुई है कि आवेदक/आरोपी के विरूद्ध अपराध के अंतर्गत थाना उरगा के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आवेदक/आरोपी को गिरफ्तार करने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना उरगा में शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना उरगा के द्वारा अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी सुरक्षा गार्ड का कार्य करता है। आवेदक/आरोपी गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका समाज/सार्वजनिक जीवन में मान—सम्मान है। आवेदक

निर्दोष हैं, उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक कोरबा जिले के निवासी है, उसें अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके अन्यत्र भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो का पालन करने तत्पर हैं। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जावे। आवेदन के समर्थन में स्वयं आवेदक के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है, कि यह **धारा–438** द.प्र.सं. का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत दिये जाने पर घोर आपत्ति होना व्यक्त करते हुए, जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी एवं उसके साथ संलग्न जमानत विरोध पत्र का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन दर्शित हो रहा है,कि प्रार्थी घनश्याम सिंह कंवर ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बी.डी. फ्यूल्स पताढ़ी में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत् है कि उसके कार्य क्षेत्र में कंट्रक्शन कार्य हेतु ऑफिस के पीछे वर्ष 2021–22 में खरीदकर लगभग 15 टन लोहे का छड़ रखा गया था जो कि दिनांक–05.9.2022 को शाम 6 बजे देखा था तो समान सही सलामत था। दिनांक–06.9.2022 को सुबह 10 बजे वह ड्यूटी गया तो देखा तो कंट्क्शन कार्य हेतु रखा गया 8 एम.एम., 10 एम.एम. व 16 एम.एम. लोहे के छड़ में से कुछ छड़ गायब था। आसपास तलाश किया कोई पता नहीं चला है। दिनांक–05.9.2022 के शाम 6 बजे से दिनांक–06.9.2022 के सुबह 10 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर द्वारा छड़ की चोरी कर लिया गया है। अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर संदेही आरोपी राम नरेश कुर्रे, बसंत कुमार, कुमार साय भारती, रामलाल कोशेले को तलब कर थाना लाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा मेमोरेण्डम कथन में राम नरेश कुर्रे, बसंत कुमार, कुमार साय भारती, रामलाल कोशले, **सलीम खरे,** कैलाश राम, जयंती एवं **आवेदक कलाराम** के साथ मिलकर सरिया को चोरी करना तथा छुपाकर रखना बताया गया। अभियुक्तगण के द्वारा छिपाये गये सरिया को पेश करने पर उनके कब्जे से जप्त किया गया हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर पुलिस थाना उरगा का अपराध क0–507/2022, धारा–379, 34 भारतीय दण्ड संहिता का पंजीबद्ध किया गया। सहअभियुक्तगण जयंती, **सलीम खरे,** कैलाश राम एवं कलाराम फरार है।

सहअभियुक्त कलाराम अनंत का दिनांक–17.10.2022 का धारा–438 द.प्र.सं. प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्यायहित में अस्वीकार कर निरस्त किया गया।

आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया है कि प्रकरण के सहअभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र धारा–439 द.प्र.सं का प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। इस आवेदक द्वारा अधिरोपित अपराध की प्रकृति अन्य सहअभियुक्त पर अधिरोपित अपराध से भिन्न नहीं है। सहअभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर वर्तमान

आवेदक को प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। वर्तमान आवेदक घटना दिनांक से फरार है। विवेचना अपूर्ण है, चोरी हुए और सामान की जप्ती होना शेष है। चोरी जैसे मामलों में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः **आवेदक सलीम कुमार खरे की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–438 दण्ड प्रकिया संहिता न्यायहित में अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।**

आदेश की प्रतिलिपि केस डायरी के साथ संलग्न कर संबंधित थाना को भेजा जावे।

जमानत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर सुव्यवस्थित कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखाकर में जमा किया जावे।

सही/–

(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–कोरबा (छ.ग.)